सार संक्षेप

एआई सिस्टम से मिली 4 गुना स्पीड एक्सेलेरेशन की उपलब्धि, 400 से अधिक विशेषज्ञ एजेंट्स कर रहे सिस्टम संचालन

सवेरा न्यूज़-कास.

नई दिल्ली, 28 मई : भारत के प्रमुख फिनटेक प्लेटफॉर्म क्रेड ने अपने एआई सिस्टम 'क्रेड कोडलेंस' के माध्यम से अमेज़ॉन बेडरॉक की मदद से 4 गुना एआई एक्सेलेरेशन हासिल किया है। कंपनी के अनुसार यह प्रणाली कोड की हर लाइन को प्लेटफॉर्म, आर्किटेक्चर और सेवाओं का पूरा कॉन्टेक्स्ट उपलब्ध कराती है, जिससे निर्णय लेने और विकास प्रक्रिया में तेजी आई है। क्रेड कोडलेंस के जरिए कंपनी ने एक एजेंटिक एआई लेयर विकसित की है, जो 400 से अधिक विशेषज्ञ एजेंट्स का संचालन करती है। यह सिस्टम कोड जनरेशन, पीआर रिव्यू, डिबगिंग और टेस्टिंग जैसी प्रक्रियाओं को स्वचालित और तेज बनाता है।

कंपनी के अनुसार क्रेड के 20 से अधिक बिजनेस वर्टिकल और 500 से ज्यादा माइक्रोसर्विसेज के बीच जटिलता को यह प्लेटफॉर्म सरल बनाता है। हर कोड कमिट के बाद ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंटेशन और एनालिसिस तैयार किया जाता है, जिसे 30 मिनट के भीतर इंडेक्स कर दिया जाता है।

अमेज़ॉन बेडरॉक के जरिए क्रेड को मल्टी-मॉडल एआई रूटिंग, एंटरप्राइज कंट्रोल और सुरक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर मिला है। यह प्लेटफॉर्म अब इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट और ऑपरेशंस टीमों में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। कंपनी ने दावा किया है कि इस सिस्टम से कोड शिपिंग की गति कई गुना बढ़ी है और उत्पादकता में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। किरन जगन्नाथ, हेड, एफएसआई और कॉन्ग्लोमरेट्स, एडब्लूएस इंडिया एवं साउथ एशिया ने कहा, क्रेड ने अमेज़ॉन बेडरॉक पर क्रेड कोडलेंस का निर्माण करके इंजीनियरिंग टीमों के काम करने के तरीके में व्यापक परिवर्तन लाया है।

नगरपालिका की स्ट्रीट लाइट पोल हुआ टेडा

टेढ़े पोल के नीचे से गुजरते वाहन।

सवेरा न्यूज/अशोक तोमर कलानौर, 28 मई : कलानौर कस्बे के अंदर स्ट्रीट लाईट पोल इन दिनों हादसों को नेता दे रहे हैं। रोहतक भिवानी राजमार्ग पर नगर पालिका के नजदीक एक पोल टेढ़ा हो चुका है। जो किसी भी वक्त गिरकर हादसा हो सकता है। इस तरफ न ही नगरपालिका अधिकारियों और न किसी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान है। आवागमन का मुख्य मार्ग होने के बावजूद भी अधिकारियों की अनदेखी के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा या फिर अनहोनी हो सकती है। यह सरासर लापरवाही किसी भी व्यक्ति की जान को जोखी में डाल सकती है। आसपास के आने रहागिरो का कहना है कि काफी दिनों से यह पल ऐसे ही टेढ़ा है जिसके कारण कभी भी आने जाने वाले वाहन या फिर किसी व्यक्ति पर गिर सकता है जिसके कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है अधिकारियों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है यदि समय रहते इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो कोई बड़ा अच्छा होगा। इस बारे में नगर पालिका सचिव विनय ने कहा कि जो पोल खराब है उसे जल्द ठीक करवाया जाएगा ताकि कोई हादसा ना हो। आमजन को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।

धान की सीधी बिजाई, मेरी फसल मेरा ब्यौरा एवं मेरा पानी मेरी विरासत योजनाओं का किसान उठाएं लाभ : उपायुक्त

सवेरा न्यूज/ब्यूरो रोहतक, 28 मई : उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिला रोहतक के सभी किसान भाई अपनी खरीफ 2026 की फसलों का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि फसलों का पंजीकरण करवाने से किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा संचालित किसान हितैषी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खरीफ 2026 सीजन के लिए खोल दिया गया है। किसान समय रहते पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण करवाएं ताकि योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। धान की सीधी बिजाई (डीएसआर) योजना के तहत जिला रोहतक को 10 हजार एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को 4500 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को धान की सीधी बिजाई करनी होगी तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 15 जून तक पंजीकरण करवाते हुए डीएसआर विकल्प का चयन करना होगा। उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा इस खरीफ सीजन में राज्यभर में 600 डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) मशीनें अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। किसान 15 जून तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाते समय उन किला नंबरों में, जहां गत वर्ष धान की फसल लगाई गई थी, वैकल्पिक फसलों का चयन करने के साथ-साथ मेरा पानी मेरी विरासत विकल्प का चयन अवश्य करें, ताकि योजना का लाभ मिल सके।

डॉ. अर्चना गुप्ता की नियुक्ति पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने दी बधाई

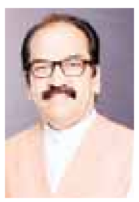

यतींद्र सिंह।

सवेरा न्यूज/रवि बंसल सिरसा, 28 मईः भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा वरिष्ठ नेत्री डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर सिरसा जिला भाजपा में खुशी और उत्साह का माहौल है। इस ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी निर्णय का स्वागत करते भाजपा जिलाध्यक्ष एडवोकेट यतीद्र सिंह ने डॉ. अर्चना गुप्ता को पूरे सिरसा जिले की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। जिलाध्यक्ष एडवोकेट यतीद्र सिंह ने कहा कि भाजपा नेतृत्व का यह निर्णय संगठन को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि डॉ. अर्चना गुप्ता की नियुक्ति से प्रदेशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। एडवोकेट यतीद्र सिंह ने कहा कि डॉ. अर्चना गुप्ता के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में नए आयाम स्थापित करेगी। इस अवसर पर सिरसा जिला भाजपा के पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, मोर्चा प्रभारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भी डॉ. अर्चना गुप्ता के सफल एवं यशस्वी कार्यकाल की कामना करते हुए भाजपा शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया।

जामा मस्जिद हथो में हर्षोल्लास से मनाई ईद उल अजहा (बकरीद): नानू दीन हथो

सवेरा न्यूज़/विरेन्द्र शर्मा नरवाना, 28 मई : नरवाना उपमंडल के गांव हथो की जामा मस्जिद में ईद उल अजहा (बकरीद) का त्योहार धूमधाम से मनाया। यह ईद इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिजा की 10 तारीख को मनाई जाती है ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम अली अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। मान्यता है कि अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम से अपने बेटे हजरत स्माइल की कुर्बानी मांगी इब्राहिम ने अल्लाह को राजी करने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। विश्व मुस्लिम बोर्ड के पूर्व राष्ट्रीय सचिव नानू दीन ने बताया कि अल सुबह से ही आसपास के गांव के लोग मस्जिद में जमा हो गए। छोटे छोटे बच्चे भी नए नए कपड़े पहनकर आ गए। मौलाना रागिब ने सभी को ईद की नमाज अदा कराई। इस मौके पर प्रधान रोशन, जोगी खान, मेंबर सोमिन खान, बलि मोहम्मद, शुक्रदीन, राजा खान, सुरेंद्र खान, मोहम्मद आरिफ बसीर अहमद आसीन खान जिले खानकाफी संख्या में अन्य लोग मौजूद थे।

फील्ड में कार्य कर-सफाई व्यवस्था करें सुनिश्चितः नरेंद्र कुमार

■ कहा, सफाई कार्य होने का फीडबैक आमजन से प्राप्त होना चाहिए

सवेरा न्यूज/ब्यूरो

बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते निगमायुक्त नरेद्र कुमार।

रोहतक, 28 मई : नगर निगम आयुक्त नरेन्द्र कुमार द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था, कूड़ा उठान, कूड़े का सही ढंग से निष्पादन, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों की समीक्षा हेतु सफाई शाखा के अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों की विस्तृत बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर में चल रहे सफाई कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने बताया कि सफाई कार्य में कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी फिल्ड में कार्य करने एवं शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने बारे निर्देशित किया गया है क्योकि नगर निगम का मुख्य उदेश्य आमजन को सुविधा प्रदान करना होता है जिसमें सफाई व्यवस्था प्राथमिकता होती है, इसलिए सफाई व्यवस्था में सुधार करें। उन्होंने कहा कि हर घर से कूड़े का उठान सुनिश्चित किया जाये व गंदगी के ढेर नहीं लगे होने चाहिए। अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण क रें तथा जहां भी कमी पाई जाए उसे तुरंत दूर करवाया जाए। बाजार क्षेत्रों, मुख्य मार्गों, सार्वजनिक स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सफाई व्यवस्था बनाए रखी जाए। यदि कोई शहर में आये तो उसे सफाई व्यवस्था दिखनी चाहिए व सफाई कार्य होने का फीडबैक आमनज से प्राप्त होना चाहिए तथा सफाई कार्य से सम्बन्धित शिकायते प्राप्त नहीं होनी चाहिए। नगर निगमायुक्त ने यह भी बताया कि कूड़े के उचित एवं वैज्ञानिक निस्तारण पर भी विशेष चर्चा की गई। एकत्रित कूड़े का नियमानुसार निपटान सुनिश्चित किया जाए तथा कूड़े के ले जाने एवं डिस्पोजल प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। शहर में बने सभी सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई, रखरखाव एवं आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने घर, गली, मोहल्ले और आसपास के क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने में सहयोग करे। घरों से निकलने वाले कूड़े को गीला और सूखा अलग-अलग रखें तथा नगर निगम की स्वच्छता व्यवस्था में सहयोग करें, ताकि जनभागीदारी से रोहतक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट स्थान दिलाया जा सके। बैठक में संयुक्त आयुक्त नमिता कुमारी व मंजीत सिंह, कार्यकारी अभियंता मंजीत दहिया, सहायक अभियंता सत्यव्रत व तरूण कुमार, मुख्य सफाई निरीक्षक सुधीर कुमार व सचिन, कनिष्ठ अभियंता सूर्या धनखड़ व नीरज, सफाई निरीक्षक रमेश कुमार, सहायक सफाई निरीक्षक नरेन्द्र, परमजीत, कृष्ण लाल, प्रदीप कुमार, संदीप राठी आदि उपस्थित रहे।

श्री महन्त अमरनाथ रावल के निधन पर संत-महात्माओं ने जताया शोक, नृसिंह पीठाधीश्वर स्वामी रसिक महाराज ने बताया सनातन संस्कृति के लिए दुख की घड़ी

सवेरा न्यूज

घनसाली, टिहरी गढ़वाल 28 मई : उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध बूढ़ा केदार मंदिर के श्री महन्त योगी अमरनाथ रावल जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं सनातन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में शोक की लहर व्याप्त है। कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त एवं सनातन धर्म विकास परिषद के अध्यक्ष नृसिंह पीठाधीश्वर स्वामी रसिक महाराज ने गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि योगी अमरनाथ रावल जी ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, सेवा, साधना एवं सनातन संस्कृति के संरक्षण हेतु समर्पित किया। उनका सरल स्वभाव, आध्यात्मिक व्यक्तित्व एवं समाज के प्रति समर्पण सदैव प्रेरणादायी रहेगा। स्वामी रसिक महाराज ने भगवान नृसिंह देव एवं बद्रीनाथ जी से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोक संतप्त परिवार एवं भक्तजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

संगोष्ठी में सांप्रदायिक सौहार्द की कहानियों पर हुई चर्चा

सवेरा न्यूज/ब्यूरो

संगोष्ठी में चर्चा करते लेखक, कवि एवं बुद्धिजीवी।

रोहतक, 28 मई : बकरीद के अवसर पर वीरवार को जनवादी लेखक संघ रोहतक ने रामगोपाल कॉलोनी स्थित ज्ञान-विज्ञान केंद्र में सांप्रदायिक सौहार्द के संदेश से ओतप्रोत कहानियों पर चर्चा की। गोष्ठी का आयोजन डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया की अध्यक्षता में हुआ और संचालन जनवादी लेखक संघ की जिला सचिव मनीषा ने किया। लेखक संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सोमेश ने चार स्वरचित कहानियों का पाठ यिा। सांप्रदायिक सौहार्द को पेश करती हुई कहानी हिंदुस्तान चली जाऊंगी में बंटवारे के समय का चित्रण है। जब मुसलिम अहमद दंगाइयों के साथ एक परिवार को घेरकर मारने की कार्रवाई में शामिल हुआ तो दौडक़र आई उसकी अम्मी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ते उसे बताया कि तू मेरी लाश के ऊपर से जाकर इन्हें मार सकता है और इसलिए तुझे पहले मुझे ही मारना होगा। एक अन्य कहानी में एक नेता स्वयं दलित होने का दंश झेलते हुए भी दलित लडक़ी का यौन शोषण करता दिखाई देता है। उसके बाद लेखक ने अलाउद्दीन खिलजी के जीवन की दो ऐतिहासिक घटनाओं पर दो कहानियों की प्रस्तुति दी। कहानियों पर चर्चा करते हुए अमन वशिष्ठ ने कहा कि भारत में मध्यकाल में जो आक्रांता आए वे सब एक ही धर्म के होते हुए भी आपस में लड़ रहे थे।

साम्राज्य का विस्तार करने वाले राजाओं को धर्म से कहीं अधिक राजनीतिक मनसूबों से प्रेम होता था। एक अन्य कहानी पर टिप्पणी करते हुए मुकेश यादव ने कहा कि महिलाओं को आज भी अपनी इच्छा से प्रेम विवाह करने की इजाजत नहीं है तो हम सामंती मूल्यों को कितना छोड़ पाए हैं, यह अभी भी देखने की बात है। संगोष्ठी में आज देश में सांप्रदायिक सौहार्द की जरूरत पर बल दिया गया। प्रतिभागियों में अमिताभ शर्मा, आशुतोष शर्मा, प्रमोद गौरी, जितेंद्र खत्री, निशा, राजेश दलाल, सुरेंद्र जसिया, अमित, लाभ सिंह हुड्डा, बिमला हुड्डा, अरविंद पाल दहिया, अनीता बागोटिया आदि मौजूद रहे।

7 साल बाद भी 7वें वेतन आयोग के एचआरए से वंचित हजारों शिक्षक-कर्मचारी : डा. सुदीप

सवेरा न्यूज/ब्यूरो

रोहतक, 28 मई : 7वें वेतन आयोग को लागू आज 7 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हरियाणा के सहायता प्राप्त (एडेड) कॉलेजों में कार्यरत हजारों शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ हो रहा स्पष्ट एवं घोर भेदभाव थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के कर्मचारी 1 अगस्त 2019 से संशोधित मकान किराया भत्ता (एचआरए) का लाभ उठा रहे हैं, वहीं एडेड कॉलेजों का कर्मचारी आज भी छठे वेतन आयोग के पुराने, अपर्याप्त एवं अमानवीय एचआरए पर जीने को मजबूर है। यह मात्र एक आर्थिक अन्याय नहीं है, बल्कि शिक्षा क्षेत्र के प्रति सरकार की उदासीनता एवं उपेक्षा का जीता-जागता प्रमाण है। कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (हरियाणा) के प्रधान डॉ. सुदीप कुमार ने इस मुद्दे पर सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह सीधा भेदभाव है। क्या एडेड कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों से कम योग्य हैं। क्या उनका किराया कम लगता है। क्या उनकी जिम्मेदारी कम है। जब सरकारी कर्मचारी 2019 से संशोधित एचआरए ले रहे हैं, तो एडेड कॉलेजों के कर्मचारियों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं उच्चतर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बार-बार मुलाकात कर इस अन्याय को दूर करने की गुहार लगाई है। प्रस्ताव मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग को भेजा गया, लेकिन वित्त विभाग बार-बार अनावश्यक एवं असंगत आपत्तियाँ उठाकर फाइल वापस लौटा रहा है। डॉ. सुदीप कुमार ने इसे लालफीताशाही का क्लासिक उदाहरण करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई नई वेतन वृद्धि या अतिरिक्त आर्थिक बोझ का मामला नहीं है। यह तो मात्र मौजूदा एचआरए को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित करने का प्रश्न है, जो पिछले सभी वेतन आयोगों में हमेशा किया जाता रहा है।

1974 से चली आ रही समानता अब क्यों तोड़ी गई

डा. सुदीप ने बताया कि एडेड

डा. सुदीप कुमार।

कॉलेजों के कर्मचारी वर्ष 1974 से प्रत्येक पूर्ववर्ती वेतन आयोग के अनुसार एचआरए प्राप्त करते आ रहे हैं। हर बार सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष ही संशोधन किया गया। लेकिन सातवें वेतन आयोग में अचानक यह विषमता क्यों। एसोसिएशन सरकार से सीधा सवाल पूछता है कि क्या एडेड कॉलेज सरकारी शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के समक्ष अब एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का समय आ गया है कि क्या वह एडेड कॉलेजों को शिक्षा का अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग मानती है या नहीं। यह सवाल 1.30 लाख निर्दोष छात्रों के भविष्य और हजारों कर्मचारियों के अधिकार एवं सम्मान का है। अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एवं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा इस अन्याय को तत्काल दूर करें और एडेड कॉलेजों के कर्मचारियों को उनका वाजिब एवं संवैधानिक हक दिलाएं।

सुपवा के छात्रों से सजी दूजवर-2 आज होगी रिलीज

सवेरा न्यूज/ब्यूरो

रोहतक, 28 मई : दादा लख्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (डीएलसीसुपवा) के छात्रों से सजी हरियाणवी फिल्म दूजवर-2 आज रिलीज होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टेज ऐप पर फिल्म के जरिए सुपवा के छात्रों की अदाकारी से लोग रूबरू हो सकेंगे। फिल्म में दर्शकों को मजबूरी में बंधे रिश्तों की कहानी करीब से देखने को मिलेगी। दूजवर-2 में मुख्य किरदार सुपवा की फिल्म एवं टेलीविजन फैकेल्टी के पूर्व छात्रों ने निभाए हैं। इसमें एक्टिंग डिप्लोमा कोर्स साल 2023 के छात्र रहे केशव कादियान, अरूण नारा, निशा शर्मा, मधु व बैचलर इन डायरेक्शन के छात्र रहे आशीष नेहरा मुख्य किरदार रहे हैं। आशीष फिलहाल सुपवा में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि दूजवर को मिली सफलता के बाद फिल्म निर्माता ने दूजवर-2 बनाने का फैसला लिया। फिल्म की एडिटिंग सुपवा में बैचलर इन एडिटिंग के 2018 बैच के छात्र रहे ज्ञानेश ने की है, जबकि केशव कादियान ने फिल्म में अभिनय के साथ ही इसका निर्देशन भी किया है। फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर देवेंद्र दाह हैं, जो सुपवा में बैचलर इन डायरेक्शन 2013 बैच के छात्र रहे हैं। देवेंद्र दाह इससे पहले सन्नी देयोल अभिनीत सुपर हिट फिल्म गदर-2 के सहायक निर्देशक भी रह चुके हैं। आशीष नेहरा ने फिल्म में मनोज का किरदार निभाया है, जबकि निशा उनकी पत्नी आरती की भूमिका में है।

PUBLIC NOTICE

KNOW all men by this presents that my client/s namely Sheela Devi W/o Chandra Pal Mishra R/o RZP-252, New Roshan Pura, Najafgarh, New Delhi-110043 have disowned and barred her daughter POOJA D/o Chandra Pal Mishra, Son SANJEEV MISHRA S/o Chandra Pal Mishra, daughter-in-law MIRDLA W/o Sanjeev Mishra and grandson YASH S/o Sanjeev Mishra from all her all moveable and immovable properties due to their bad behaviour, misconduct and disobedient attitude and my client/s has/have severed all relations with them. If anybody deals with them shall do at his/her/their own risk and responsibility and my client/s shall not be responsible for the same in future.

VIKRAM SINGH (ADVOCATE)
Enrolment No. D/3691/2010
B-52, Laxmi Garden, Near S.D.M Office/Tehsil Najafgarh, New Delhi-110043

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री विजेंद्र सिंह ने प्लॉट नंबर RZ-478/5A, क्षेत्रफल 250 वर्ग गज, खसरा नंबर 478 से, जो कि ग्राम नासिरपुर के क्षेत्र, साध नगर-II नाम से जानी जाने वाली कॉलोनी, गली नंबर 45, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली में स्थित है, के मालिक होने का दावा किया है और अब, मैसर्स रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (M/S ROHA HOUSING FINANCE PVT. LTD.) उपरोक्त प्लॉट पर निर्मित विभिन्न यूनिटों/मंजिलों/फ्लैटों को फाइनेंस (वित्तपोषित) करने का इरादा रखती है।
यदि किसी भी व्यक्ति का उपरोक्त प्लॉट या किसी फ्लैट यूनिट पर किसी भी प्रकार का अधिकार, दावा, आपत्ति/विवाद, मालिकाना हक (टाइटल) या हित है, तो वे 7 दिनों के भीतर विकास शौकीन, अधिवक्ता, H-20, बेसमेंट, बाली नगर, नई दिल्ली-110015 को सूचित करें। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Vikas Shokeen Advocate
Res.&office A18 Mianawali Nagar, Paschim Vihar New Delhi87

PUBLIC NOTICE

KNOW all men by this presents that my client/s namely Raj Rani W/o Dharmbir R/o Village Issapur, South West Delhi, Delhi-110073 has/have disowned and barred her son ANUJ S/o DHARMBIR and his wife MANJU W/O ANUJ from all her moveable and immovable properties due to their bad behaviour, misconduct and disobedient attitude and my client/shas/have severed allrelations with all of them. If anybody deals with them shall do at his/her/their own risk and responsibility and my client/s shall not be responsible for the same in future.

VIKRAM SINGH (ADVOCATE)
Enrolment No. D/3691/2010
B-52, Laxmi Garden, Near S.D.M Office/Tehsil Najafgarh, New Delhi-110043

PUBLIC NOTICE

This is to bring to the notice of the general public that I the undersigned intends to purchase ENTIRE UPPER GROUND FLOOR (Ground Floor) OF THE PROPERTY BUILT ON PLOT NO.95, IN BLOCK A, NARAG COLONY, JANAK PURI, NEW DELHI 110058, ("said Property") from the owners, SHRI JATIL GROVER and SMT. KANTA RANI, both residents of A-95, Upper Ground Floor, Narang Colony, Janakpuri, New Delhi 110058.
In case any person has any right, title, share, claim or interest in the said Property or any part thereof, then such person shall make the same known to the undersigned at the below mentioned address within 15 (fifteen) days from the date of publication of this notice with documentary evidence, failing which it shall be presumed that no adverse right, title, interest, share, claim or demand of any nature exists with any person/ third party in respect of the said Property or part thereof, or if any such rights/ claims do exist, they shall stand waived.

Santosh Kumar Singh
R 148, Chanakya Place, Part 2, Gali No.5, Near Fauzi Hardware Store, Uttam Nagar, New Delhi 110059.
Telephone No. 9599953395.

सार्वजनिक सूचना

यह आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री माधवन अन्नादुरई, सम्पूर्ण निर्मित तृतीय तल (पूर्वी दिशा) सहित छत के अधिकार, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, जो कुल 200 वर्ग गज क्षेत्रफल में से है, संपत्ति संख्या WZ-500/237, खसरा संख्या 29/25, 30/21 एवं 40/5, खतौनी संख्या 14, खाता संख्या 19, स्थित ग्राम शकूर पुर, आबादी जिसे सीरी नगर एक्सटेंशन, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 के नाम से जाना जाता है, को श्रीमती निशा खंडेलवाल, श्रीमती बीना गुप्ता एवं श्रीमती श्वेता साहनी से क्रय करने का इरादा रखते हैं। उपरोक्त विक्रेतागण उक्त संपत्ति पर अपने अधिकार, स्वामित्व एवं हित का दावा पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 21.10.1956, 09.03.1965 एवं 24.04.2024 तथा अन्य अभिकर्ता एवं स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों, अर्थात GPA दिनांक 02.11.1988, GPA दिनांक 19.02.2004, दो GPA दिनांक 20.03.2007 एवं अपरिवर्तनीय GPA दिनांक 20.03.2007 के आधार पर करते हैं। यदि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य किसी पक्ष का उक्त संपत्ति के संबंध में कोई दावा, अधिकार, आपत्ति, लंबित वाद-विवाद अथवा किसी प्रकार का विवाद हो, तो वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते/संपर्क पर आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क करें। इसके पश्चात प्राप्त किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
संपर्क: Nex Vision Law Group मोब: 8287505938

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सचिन कुमार गुप्ता ने खसरा नंबर 217/214 और 215 में से प्लॉट नंबर 11/2 और 12/2 का मालिक होने का दावा किया है, जबकि वास्तविक (सही) पता प्लॉट नंबर 11/2, 12/2, खसरा नंबर 317/214 में से, गांव मुकुंदपुर का क्षेत्र, आबादी जिसे मेन वीर बाज़ार, मुकुंदपुर, दिल्ली 110042 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस संपत्ति को श्री इल्यास (Mr. Ellyas) को बेचने का समझौता किया है।
अब, श्री इल्यास ने उपरोक्त संपत्ति को रेहन (गिरवी/Mortgage) रखकर ऋण (Loan) लेने के लिए डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (DMI HOUSING FINANCE PVT. LTD.) से संपर्क किया है। यदि किसी भी व्यक्ति का उक्त संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, दावा, मालिकाना हक या हित है, तो वे इसकी सूचना 15 दिनों के भीतर विकास शौकीन, अधिवक्ता, H-20, बेसमेंट, बाली नगर, नई दिल्ली-110015 को दें। इसके बाद किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

VIKAS SHOKEEN (Advocate)
Office:H-20, BASEMENT, BALI NAGAR, NEW DELHI-110015
Mob.No.9670059555

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that Mr. Dinesh Joshi (hereinafter referred to as the said Mortgagor/ Borrower), is purchasing Flat No. B-102, admeasuring 2,350 Sq. Ft. Block B, HIG Type, 2nd Floor, SPS Residency, built on GH Plot No. 18-B, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad (hereinafter referred to as the said property) from Mrs. Jatinder Kaur Bakshi (through attorney Mr. Amrinder Singh Bakshi vide GPA dated 29.04.2026 bearing Doc. No. 271) & Mr. Amrinder Singh Bakshi who became the owners of the said property vide Sale Deed dated 31.03.2007 regd. as Doc. No. 7901, read with SMC dated 30.10.2021 & Gift Deed dated 29.04.2026, regd. as Doc. No. 5442. The Borrower will create mortgage in respect of the said property in favour of our clients Axis Bank Ltd., BF-1A BF-2, 1st Floor, Aditya City Centre, Plot No. 3, Vaibhav Khand 3, Indirapuram, Ghaziabad. Any person, body, individual, institution having any claim and/or objection in respect of the said property by way of sale, exchange, lease, lien, mortgage, charge, encumbrance, gift, trust, easement, maintenance, inheritance, testamentary deposition or otherwise or having in their custody any title documents pertaining to the said property shall communicate the same to the undersigned at our address within 07 days from the publication of this notice with documentary evidence in support thereof, failing which all the claim, of such person shall be considered to have been waived and/or abandoned. Any objections raised after the completion of the 07 days shall not be binding upon the said property or my client. Adv. Simran Bajaj
100, 1st Floor, Okhla Phase-III, New Delhi-110020
Phone: +91 1149774545/99

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री जाहिद (पुत्र श्री मुंशी) फ्रीहोल्ड (स्वतंत्र) संपत्ति, जिसमें 50 वर्ग गज (अर्थात 41.8 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल वाला भूमि का एक प्लॉट शामिल है, जो खसरा संख्या 1989 में से है, स्थित कस्बा दादरी, आबादी जिसे मोहल्ला नई आबादी के नाम से जाना जाता है, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, पर स्पष्ट रूप से काबिज है और इसके पूर्ण एवं एकमात्र कानूनी स्वामी होने का दावा करते हैं। उक्त संपत्ति का स्वामित्व स्वर्गीय श्री राम स्वरूप और तत्पश्चात स्वर्गीय श्री सियाराम से उत्पन्न होने वाले उत्तराधिकारों और आंतरिक पारिवारिक विभाजनों/व्यवस्थाओं की एक श्रृंखला से प्राप्त होता है, जिसकी परिणति दिनांक 07.02.2023 के विक्रय विलेख (उप-पंजीयक दादरी के कार्यालय में दस्तावेज संख्या 4766, पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 22819, पृष्ठ संख्या 265-284 के रूप में पंजीकृत) के रूप में हुई, जिसके माध्यम से श्री विवेक आनंद (पुत्र स्वर्गीय श्री सियाराम) ने संपत्ति को वर्तमान स्वामी, श्री जाहिद को बेच दिया था। और जबकि, वर्तमान स्वामी ने इच्छुक खरीदार, श्री फरमान कुरेशी के पक्ष में एक विक्रय अनुबंध निष्पादित किया है, जिन्होंने (सह-आवेदक फरमाना के साथ मिलकर) उक्त संपत्ति को बंधक (गिरवी) रखकर गृह ऋण प्राप्त करने हेतु मेरे मुवक्किल, पीरामल फाइनेंस लिमिटेड, से संपर्क किया है। किसी भी व्यक्ति, गैर-दर्ज कानूनी वारिस, प्राधिकरण या संस्था को यदि उक्त संपत्ति, इसके स्वामित्व, हस्तांतरण, या उत्तराधिकार, विरासत, या किसी भी गैर-दर्ज/अपंजीकृत पारिवारिक विभाजन (हिस्सा कशी) से उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार के संबंध में कोई दावा, अधिकार, हक, हित, ग्रहणाधिकार, विवाद, लंबित मुकदमा, स्थगन आदेश, निषेधाज्ञा (इंजक्शन), कुर्की, पूर्व विक्रय अनुबंध, मौजूदा बंधक, या किसी भी प्रकार की आपत्ति हो, तो उनसे अनुरोध है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 7 (सात) दिनों के भीतर वैध समर्थक दस्तावेजों के साथ अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में सूचित करें। ऐसा न करने पर, यह मान लिया जाएगा कि ऐसा कोई दावा या आपत्ति मौजूद नहीं है, और मेरा मुवक्किल किसी भी व्यक्ति के किसी भी अधिकार संदर्भ के बिना प्रस्तावित लेनदेन और बंधक सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

राघव कुमार तिवारी (अधिवक्ता)
चैम्बर नं. 830, पटियाला हाउस कोर्ट्स, नई दिल्ली - 110001
मो.: +91-8383020294, ईमेल: heedvalues@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

विषय: अनुज्ञप्ति संख्या 97 वर्ष 2021 दिनांक 12.11.2021 तथा अनुज्ञप्ति संख्या 04 वर्ष 2025 दिनांक 10.01.2025 के प्रस्तावित हस्तांतरण के संबंध में

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अवियाना ग्रीन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, एस.एफ.-15, द्वितीय तल, एम.जी.एफ. मेगा सिटी मॉल, एम.जी. रोड, गुरुग्राम, हरियाणा द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या 97 वर्ष 2021 दिनांक 12.11.2021 के हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो मूल रूप से श्रीमती सुनीता कुमारी पत्नी श्री अशोक कुमार, श्री धर्मिंदर-परवीन पुत्रगण श्री राज सिंह, मनीदर-परमोद पुत्रगण श्री रमेश कुमार, श्रीमती सरोज पत्नी स्वर्गीय श्री रमेश कुमार, ममता पुत्री श्री रमेश, राकेश पुत्र श्री राम भज तथा श्री सतीश पुत्र श्री रती राम के पक्ष में, अवियाना ग्रीन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से स्वीकृत की गई थी। अनुज्ञप्ति प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल 2.08125 एकड़ है, जिसे अब उपर्युक्त भू-स्वामियों से, श्रीमती सुनीता कुमारी पत्नी श्री अशोक कुमार को छोड़कर, पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से अवियाना ग्रीन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रय कर लिया गया है। फलस्वरूप उक्त अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण श्रीमती सुनीता कुमारी पत्नी श्री अशोक कुमार तथा अवियाना ग्रीन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में किया जाना प्रस्तावित है।
जबकि अनुज्ञप्ति संख्या 04 वर्ष 2025 दिनांक 10.01.2025 मूल रूप से दीपक होमबिल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, कॉम्पिटेंट इंडस्ट्रीज़ (इंडिया) एल.एल.पी., पी.एस.पी. बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, डी.के. एंड संस एल.एल.पी., ओम नॉर्थ ईस्ट एंटरप्राइजेज एल.एल.पी., श्रीमती रेखा चोपड़ा पत्नी श्री विवेक चोपड़ा, देव डिवाइन बिल्डर एल.एल.पी., हाई ग्रेड रियलटेक एल.एल.पी., मुरादी एसोसिएट्स सर्विसेज एल.एल.पी. तथा आर.सी.एस.जी. सॉल्यूशन्स सर्विसेज एल.एल.पी. के पक्ष में, अवियाना ग्रीन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से स्वीकृत की गई थी। अनुज्ञप्ति प्राप्त 0.16 एकड़ भूमि, कुल 5.10625 एकड़ क्षेत्रफल में से, कॉम्पिटेंट इंडस्ट्रीज़ (इंडिया) एल.एल.पी. से पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से रोहताश कुमार जिंदल पुत्र श्री लछमन दास जिंदल एवं किरण जिंदल पत्नी श्री रोहताश जिंदल द्वारा क्रय की गई है।
उक्त अनुज्ञप्तियां क्रमशः 4.1875 एकड़ तथा 5.10625 एकड़ भूमि पर समूह आवासीय कॉलोनी हेतु प्रदान की गई थीं, जिससे ग्राम दौलताबाद, सेक्टर-103, गुरुग्राम, हरियाणा की राजस्व संपदा में कुल 9.29375 एकड़ भूमि सम्मिलित होती है।
जिला नगर योजनाकार (मुख्यालय), नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा द्वारा ज्ञापन संख्या एल.सी.-3980/जे.ई. (एस.जे.)/2026/18214 दिनांक 25.05.2026 तथा एल.सी.-3980-बी/जे.ई.(एस.जे.)/2026/18211 दिनांक 25.05.2026 के माध्यम से प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुसार, यह सार्वजनिक सूचना आमजन से आपत्तियाँ आमंत्रित करती है।
यदि किसी व्यक्ति को उक्त हस्तांतरण के संबंध में, उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के आधार पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर, अपने समर्थन दस्तावेज़ों सहित, लिखित आपत्ति वरिष्ठ नगर योजनाकार, गुरुग्राम के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

की ओर से एवं उसके प्रतिनिधित्व में
अवियाना ग्रीन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client Shri. Pankaj Jain S/o Shri. Veer Chand, is freehold Owner and in possession of First Floor, without roof rights of Freehold built up Property Bearing No.182, in Block-GD, Measuring area 70 Sq, Mtrs, situated in Pitampura Residential Scheme Presently known as Vishakha Enclave Pitampura Delhi.
On 29.04.2026 during the scrutiny of their Original property documents regarding the above said property, my clients found that 1. Original Perpetual Lease Deed dated 05.02.1977 executed by President of India in favour of Smt. Usha Gupta, in respect of Plot No.182, in Block-GD, in the layout plan Pitampura Residential Scheme Delhi, Vide Registration No.946, 2. Original Building Sanction Letter dated 28.12.1984 issued by DDA in the name of Smt. Usha Gupta, 3. Original Agreement, Regd. Will, Vide Registration No.700, and Regd. Receipt, Vide Registration No.987 dated 09.02.1981, executed by Smt. Usha Gupta in favour of Smt. Sunita Kumari, and General Power of Attorney executed by Smt. Usha Gupta in favour of Shri. Darshan Kumar, 4. Original Agreement to Sell dated 28.03.1984 executed by Shri. Darshan Kumar and Smt. Sunita Kumari in favour of Smt. Swarna Rani Mehta, and General Power of Attorney executed by Shri. Darshan Kumar in favour of Sh. Baldev Raj Mehta, and Will executed by Smt. Sunita Kumari in favour of Smt. Swarna Rani Mehta, Vide Registration No.1517, 5. Original Sale Deed dated 29.03.2005 executed by Smt. Swarna Rani Mehta in favour of Shri. Gian Chand, Vide Registration No.11131, were lost/misplaced form his residence.
My Client have tried their level best to find all possible places the aforesaid original Documents, but yet not trace/allocate original document and have lodged online lost complaint, vide Complaint/LR No. 333081/2026 dated 28.05.2026 at Delhi Police Online Portal.
My client are declaring that neither they have mortgaged/lien the above said documents with any Govt./Private Financial Institutions nor they have taken any loan from any Govt./Private financial institution against the above said lost Original documents, if in future, the above said original documents will find by them then, that same shall not be misused and they will hand over to the intending purchaser/Mortgagee financial institution of the abovesaid property.
My Client declaring that the above mention property is going to mortgage with State Bank of India, If anybody find/trace those above said original documents then, please intimate/informed me physically/ telephonically Mob- 9818019648 or Email at- krishnavalvjha@gmail.com.
If anybody has any legal objection regarding such lost documents and property then please make objection to me physically/Telephonically within 15 days. If no claim is received it shall presumed after 15 days that the property is free form all Encumbrance/legal objection.

Krishna V Jha (Advocate)
Office at:-Chamber No.241, First Floor, Westrin Wing Tis Hazari Court Delhi-110054,MOB:9818019648

PUBLIC NOTICE

I, Rahul Kaushik, Son of Ravinder Kumar Kaushik R/o H. No. 595, VPO JHARSA, Gurugram Haryana 122001, Do Hereby solemnly affirmed and declare as under
1. That my father namely Late Sh. Ravinder Kumar Kaushik S/o Banwari Lal R/o H.No. 541, VPO - Jharsa, Gurugram Haryana 122001, Had Expired on 05.03.2026
2. That the following person are the legal heirs of Late Sh. Ravinder Kumar Kaushik S/o Banwari Lal.

S.No	Name	Age	Relation	Aadhar No
1	Ajanta Rani	53	Wife	845285889138
	Rahul Kaushik	32	Son	683476757761
	Lubhanshi Kaushik	33	Daughter	559635211269

3. That the above mentioned Persons are legal heris of the deceased person
4. That there is no other legal hier of above mentioned deceased person.
5 That all legal heir are alive as on date.
6. That if anyone is having any objections regarding this. then he/she can raise objections within 30 days from date of the publication in the office of Tehsildar Wazirabad, Distt Gurugram Haryana.
That is my true and correct statement.

उत्तर रेलवे
निविदा आमंत्रण सूचना

कार्य का नाम और इसकी स्थिति	86-SRDEE-G-DLI-2026-27 एसएसई/पीएस/एसएमक्यूएल के अधिकार क्षेत्र में रेलवे क्वार्टरों की रीवायरिंग से संबंधित विद्युत कार्य।
निविदा की अनुमानित लागत	रू. 11135158.00/-
कार्यालय का पता	वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/सामान्य, डीआरएम कार्यालय, दिल्ली मंडल, उत्तरी रेलवे, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली–110055
बयाना राशि	रू0 222700.00/-
निविदा निवेदन की दिनांक व समय	18.06.2026, 16.00 बजे
निविदा खोलने की दिनांक व समय	18.06.2026, 16.00 बजे
वेब साइट व नोटिस बोर्ड	www.ireps.gov.in वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/जी, नई दिल्ली

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 1802/2026